

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-29.4.2016

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 47,80,000/- (सैतालीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 47,80,000/- (सैतालीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 2793 दिनांक 04.04.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2070001150003 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 2016

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 47,80,000/- (सैतालीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 47,80,000/- (सैतालीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 2793 दिनांक 04.04.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2070001150003 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध सविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 29.4.2016

ज्ञापांक-5/बजट 1-06/2016 सा10-.....06, /

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते
	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	1,25,000	1,50,000	10,000	10,000	10,000	3,05,000
2	भोजपुर	1,00,000	1,25,000	10,000	10,000	10,000	2,55,000
3	बक्सर	0	0	0	0	0	0
4	रोहतास	0	0	0	0	0	0
5	कैमूर(भभुआ)	0	0	0	0	0	0
6	नालन्दा	0	0	0	0	0	0
7	गया	1,50,000	1,80,000	10,000	10,000	10,000	3,60,000
8	नवादा	0	0	0	0	0	0
9	जहानाबाद	1,25,000	1,50,000	10,000	10,000	10,000	3,05,000
10	औरंगाबाद	1,25,000	1,50,000	10,000	10,000	10,000	3,05,000
11	अरवल	75,000	90,000	10,000	10,000	10,000	1,95,000
12	मुजफ्फरपुर	75,000	90,000	10,000	10,000	10,000	1,95,000
13	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0
14	पूंचम्पारण	75,000	90,000	10,000	10,000	10,000	1,95,000
15	प०चम्पारण	1,25,000	1,50,000	10,000	10,000	10,000	3,05,000
16	शिवहर	0	0	0	0	0	0
17	वैशाली	75,000	90,000	10,000	10,000	10,000	1,95,000
18	दरभंगा	1,25,000	1,50,000	10,000	10,000	10,000	3,05,000
19	मधुबनी	1,75,000	2,00,000	10,000	10,000	10,000	4,05,000
20	समस्तीपुर	1,50,000	1,80,000	10,000	10,000	10,000	3,60,000
21	सारण	1,25,000	1,50,000	10,000	10,000	10,000	3,05,000
22	सिवान	0	0	0	0	0	0
23	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0
24	भागलपुर	75,000	90,000	10,000	10,000	10,000	1,95,000
25	बांका	0	0	0	0	0	0
26	मुंगेर	40,000	40,000	5,000	5,000	5,000	95,000
27	लखीसराय	0	0	0	0	0	0
28	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
29	जमुई	0	0	0	0	0	0
30	खगड़िया	0	0	0	0	0	0
31	बेगूसराय	1,25,000	1,25,000	10,000	10,000	10,000	2,80,000
32	पूर्णिया	40,000	50,000	10,000	5,000	5,000	1,10,000
33	कटिहार	0	0	0	0	0	0
34	अररिया	0	0	0	0	0	0
35	किशनगंज	0	0	0	0	0	0
36	सहरसा	40,000	50,000	10,000	5,000	5,000	1,10,000
37	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0
38	सुपौल	0	0	0	0	0	0
	कुल योग -	19,45,000	23,00,000	1,85,000	1,75,000	1,75,000	47,80,000

(सैतालीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग